राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि / नरेगा / संविदा / 2010–11 जयपुर, दिनांक 7/3/11

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– दिनांक 28.02.2011 के पश्चात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कार्मिकों के लिये संविदा अनुबंध प्रपत्र एवं महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिक संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 07.03.11 के संबंध में।

प्रसंग:– समसंख्यक पत्र दिनांक 28.02.2011।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 3 अ द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि रोजगार सहायक का संविदा अनुबन्ध विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी के साथ हस्ताक्षरित किया जावे तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के साथ किया जाने वाला सेवा अनुबन्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित किया जावे। प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न अनुबंध प्रारूप परिशिष्ट अनुलग्न "क" एवं "ख" के एनेक्जर–1 के द्वितीय बिन्दु पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिला एवं पंचायत समिति के समस्त संविदा कर्मियों के साथ अनुबन्ध करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी बताया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत पर नियोजित योजनान्तर्गत सभी संविदा कार्मिकों (कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के अलावा) का अनुबंध विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के साथ किया जाने वाला संविदा अनुबंध जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस के अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, ताकि उन्हें कार्य की उपलब्धता के अनुसार जिले की किसी भी पंचायत अथवा पंचायत समिति में काम में लिया जा सके।

2. विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.02.11 के संबंध में कई जिलों द्वारा यह मार्ग दर्शन चाहा है कि जिन कार्मिकों के द्वारा पूर्व में संविदा अनुबंध स्टाम्प पर निष्पादित किया हुआ है, क्या उन्हें विभाग के उक्त पत्र के बिन्दु 3 (ब) के अनुसार उनके अनुबंध नवीनीकरण अनुलग्नक "क" में स्टाम्प पर किया जाना है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जो संविदा कार्मिक 01.03.2011 से पूर्व से कार्यरत है तथा जिन्होंने पूर्व में अनुबंध स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया हुआ है तथा उनकी संविदा सेवाएं संतोषजनक रही है तो उनके नवीनीकरण के लिये अनुलग्नक "क" स्टाम्प पर निष्पादित नहीं किया जाकर सादा कागज पर निष्पादित किया जा

7/3/11

सकता है तथा यह पूर्व में स्टाम्प पर किये गये अनुबंध के नवीनीकरण के फलस्वरूप, उसके साथ संलग्न किया जायेगा। पांच वर्ष के पश्चात् छठे वर्ष हेतु पुनः अनुबंध, नवीन अनुबंध की तरह ही अनुलग्नक "ख" के प्रारूप में स्टाम्प पर किया जाना है। यह भी उल्लेखनीय है कि नव चयनित कार्मिकों को प्रथम बार संविदा पर नियोजन किये जाने की स्थिति में अनुबंध प्रारूप अनुलग्नक "ख" के अनुसार 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर ही निष्पादित किया जाना है।

3. विभाग के पूर्व पत्र दिनांक 28.02.2011 के बिन्दु संख्या 6 द्वारा अनुबंध नवीनीकरण की समस्त कार्यवाही करने की समय–सीमा दिनांक 07.03.11 के स्थान पर बढाकर दिनांक 15.03.2011 की जाती है एवं जो संविदा कर्मी फरवरी, 2011 के द्वितीय पखवाडे पर उपस्थित नहीं थे, उनके संबंध में यह लेख है कि उनके द्वारा उक्तानुसार दिनांक 01.03.2011 से 29.02.2012 तक अनुलग्नक "क" अथवा "ख" (जैसी भी स्थिति हो) में संविदा अनुबंध का नवीनीकरण पत्र निष्पादित करने पर उनकी फरवरी के द्वितीय पखवाडे की अनुपस्थिति अवधि को संविदा अनुबंध के नवीनीकरण में प्रोद्भुत होने वाले 15 दिवसीय वार्षिक आकस्मिक अवकाश (Adjustment from the prospective casual leave accrual in 2011-12) में से काटकर समायोजित कर ली जावे। यदि माह फरवरी, 2011 में कोई संविदा कर्मी 15 दिवस से भी अधिक अनुपस्थित रहा है तो तद्नुसार आनुपातिक संविदा राशि काटकर (Proportional deduction from the monthly contractual package) अवकाश स्वीकृत किया जावे। इस प्रकार आकस्मिक अवकाशों का समायोजन किये जाने के बाद शेष बचे आकस्मिक अवकाश ही संविदा कर्मी को दिनांक 01.03.11 से 29.02.12 तक देय होंगे। यदि संविदा कर्मी द्वारा इससे अधिक अवकाशों का उपभोग, सक्षम स्तर से अनुमति लेने के पश्चात्, संविदा अवधि में किया जाता है तब उसे दी जाने वाली संविदा राशि में से अनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन ग्राम पंचायतों में कोई ग्राम पंचायत मुख्यालय से 8 किमी. अधिक दूरी पर स्थित है तो वहां की राजकीय कार्य से यात्रा करने पर संबंधित ग्राम रोजगार सहायक को नियमानुसार यात्रा भत्ता भी दिया जावे।

5. जो ग्राम रोजगार सहायक माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर रिट याचिका पर स्थगन आदेश के कारण कार्यरत है, उनके द्वारा रिट याचिका को वापस लेने की लिखित में सहमति देते हुये यदि अनुलग्नक "क" में अनुबंध में नवीनीकरण किया जाता है तब उन्हें दिनांक 01.04.10 से दी जाने वाली सविदा राशि रूपये 3500/– प्रति माह की अन्तर राशि का भुगतान भी कर दिया जावे।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस प्रथम एवं द्वितीय) जिला परिषद समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7/3/11

परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस